रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2013/ज्येष्ठ 3, 1935
No. 117] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2013/JYAISTHA 3, 1935

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2013

सं. 4–5/2009—डब्ल्यू (एचएलसी).—*भारत सरकार ने दिनांक 27 फरवरी, 2012 एवं 29 जून, 2012 के इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 4–5/2009–डब्ल्यू. डब्ल्यू. के माध्यम से वर्ष 1989 से महिलाओं की स्थिति को समझने हेतु एक व्यापक अध्ययन कराने के साथ–साथ महिलाओं की आवश्यकताओं के समसामयिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय विकसित करने हेतु महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में अध्यक्ष, सदस्य–सचिव एवं सत्रह सदस्य थे।*

2. समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं तीन सदस्यों के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :–

i.	*डॉ. पाम राजपूत*	–	*अध्यक्ष*
ii.	*डॉ. सिमरित कौर*	–	*सदस्य*
iii.	*सुश्री रजिया ए. आर. पटेल*	–	*सदस्य*
iv.	*डॉ. मृदुल इयापन*	–	*सदस्य*
v.	*सुश्री मनीरा पिन्टो*	–	*सदस्य*
vi.	*सुश्री मोनिषा बहल*	–	*सदस्य*
vii.	*सुश्री कविता कुरूगन्ती*	–	*सदस्य*
viii.	*प्रो. दर्शिनी महादेविया*	–	*सदस्य*
ix.	*डॉ. अमीता बाविस्कर*	–	*सदस्य*
x.	*सुश्री बिन्दु अनन्त*	–	*सदस्य*
xi.	*सुश्री रीता सरीन*	–	*सदस्य*
xii.	*डॉ. रवि वर्मा*	–	*सदस्य*

xiii. *डॉ. आर. गोविन्दा* – *सदस्य*

xiv. *सचिव (म.बा.वि.)* – *सदस्य सचिव*

3. उपर्युक्त उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार बने रहेंगे :–

(क) उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की स्थिति पर लगभग 1989 के बाद के प्रकाशित आंकडों, रिपोर्टों, लेखों और अनुसंधान का अध्ययन करने के लिए गहन साहित्य सर्वेक्षण करेगी।

(ख) उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की मौजूदा सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट में महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण हेतु इन पहलुओं के प्रभाव के संबंध में उनमें परस्पर संबंधों का उल्लेख किया जाएगा और महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण हेतु उपाय सुझाए जाएंगे।

(ग) उच्च स्तरीय समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक, स्वास्थ्य और पोषाहारीय, कानूनी और राजनीतिक स्थिति, ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की अलग–अलग स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति (उदाहरणार्थ गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली, अनु. जाति/अनु. जनजाति, अविवाहित महिला, अक्षम महिला, प्रवासी महिला) सहित और जहां कहीं संभव हो, अल्पसंख्यकों की स्थिति के अनुरूप (उदाहरणार्थ मुस्लिम/अन्य) महिलाओं की समग्र स्थिति की जांच करेगी। विश्लेषण में विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को ध्यान में रखा जाएगा और परिवार के भीतर एवं बाहर दोनों में असमानताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। यह समिति मौजूदा नीतियों और नीति एवं विधान में समानता संबंधी कानूनी बदलाव के प्रभाव के मूल्यांकन के साथ–साथ क्रियान्वयन में कमियों का मूल्यांकन भी करेगी।

(घ) उच्च स्तरीय समिति अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित की जांच करेगी :–

i. *औपचारिक तथा अनौपचारिक सवेतन रोजगार तक महिलाओं की पहुंच और भागीदारी : भागीदारी के उभरते क्षेत्र, उनके आर्थिक क्रियाकलापों का भौगोलिक स्वरूप, अवैतनिक कार्य/देखभाल सुव्यवस्था आदि ।*

ii. *उनका संपत्ति आधार और आय का स्तर, संपत्ति तक पहुंच और नियंत्रण, भूमि और अन्य उत्पादक संसाधन।*

iii. *सूक्ष्म वित्त, बैंक ऋण प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन, विपणन आदि तक पहुंच और उत्पादकता में वृद्धि में आने वाली बाधाएं।*

iv. *महिलाओं के प्रति समाज की सोच और उसमें परिवर्तन, विभिन्न आयु वर्गों में घटते लिंग अनुपात में यथा प्रतिबिंबित भेदभाव, विवाह की आयु, निर्णय लेने में भागीदारी, घर में तथा घर के बाहर महिलाओं के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार सीमा में परिवर्तन एवं उसकी प्रकृति, और रीति–रिवाजों के कारण भेदभाव के अन्य रूप।*

v. *स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रासांगिक संसूचकों के संबंध में सामाजिक–आर्थिक विकास का स्तर।*

vi. *महिलाओं पर कानूनों का प्रभाव और प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं पर संकेन्द्रित कानूनों के साथ–साथ महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कानूनों के संबंध में कमियां। ऐसा करते समय समिति कानूनों के प्रति महिलाओं की जागरूकता, कानून तक पहुंच, कारगर रूप से कानूनों का उपयोग करने में महिलाओं की असमर्थता, कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों तथा न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता, जाति आधारित पंचायतों तथा अन्य प्रथाओं की भूमिका, कारावास एवं अन्य अभिरक्षण संबंधी संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति की भी जांच करेगी।*

vii. *पंचायतों, राज्य विधान मंडलों और संसद में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में उनकी राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन, भागीदारी की प्रकृति और सीमा, महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण पर उनकी राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन की चुनौतियां और प्रभाव।*

viii. *सामाजिक–आर्थिक, स्वास्थ्य और पोषाहारीय, कानूनी और राजनीतिक स्थिति सहित महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार संबंधी प्रमुख महिलोन्मुख कार्यक्रमों और स्कीमों के प्रभाव का मूल्यांकन।*

ix. *उपरोक्त ढांचे के अंतर्गत कोई अन्य मुद्दा जिसे समिति महिलाओं की स्थिति हेतु प्रासंगिक समझे।*

(ङ.) समिति उपाय करने के क्षेत्रों की पहचान करेगी और महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने के उपायों की सिफारिश करेगी।

(च) पुनर्गठित समिति अपना नियत कार्य पूरा करेगी और 2 वर्ष के भीतर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(छ) अपने कार्यकाल के दौरान और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, उच्च स्तरीय समिति कार्यकारी दस्तावेज/ पृष्ठभूमि दस्तावेज तैयार करेगी।

(ज) अध्ययन कराने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगी।

4. उच्च स्तरीय समिति को सभी मंत्रालयों/विभागों और सरकार के अधीन अन्य निकायों द्वारा यथा संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके कार्यों को सुसाध्य बनाने हेतु आंकड़ों और सूचना का समय पर संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।

5. उच्च स्तरीय समिति ऐसे व्यक्ति(यों) को, जैसा उचित समझे, विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

6. इस समिति का कार्यालय चौथा तल, क्रीसेन्ट टॉवर, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्यालय, 12 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, सत्संग विहार, नई दिल्ली–110067 होगा।

7. अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के हकों सहित उच्च स्तरीय समिति से संबंधित अन्य निबंधन और शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।

8. इस पर होने वाला व्यय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

अमित रे, निदेशक

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2013

No. 4-5/2009-WW(HLC).—The Government of India had set up a High Level Committee on the Status of Women to undertake comprehensive study to understand the status of Women since 1989 as well as to evolve appropriate policy interventions based on a contemporary assessment of women's needs vide this Ministry's Resolutions No. 4-5/2009-WW dated the 27th February, 2012 and 29th June, 2012 comprising of Chairperson, Member Secretary and seventeen Members.

2. Consequent upon the resignation of the Chairperson, Member Secretary and three Members of the Committee, the High Level Committee is reconstituted as under:—

1	Dr. Pam Rajput	Chairperson
2	Dr. Simrit Kaur	Member
3	Ms. Razia A.R Patel	Member
4	Dr. Mridul Eapen	Member
5	Ms. Manira Pinto	Member
6	Ms. Monisha Behal	Member
7	Ms. Kavita Kuruganti	Member
8	Prof. Darshini Mahadevia	Member
9	Dr. Amita Baviskar	Member
10	Ms. Bindu Ananth	Member
11	Ms. Rita Sarin	Member
12	Dr. Ravi Verma	Member
13	Dr. R. Govinda	Member
14	Secretary (WCD)	Member Secretary

3. The terms of Reference of the above High Level Committee shall remain as follows:-

(a) The HLC will conduct an intensive literature survey to take stock of published data, reports, articles and research from about 1989 onwards, on the status of Women in India.

(b) The HLC will prepare a report on the current socio-economic, political and legal status of Women in India. The Report will also bring out the interconnectedness of these aspects in terms of their impact on women and recommend measures for holistic empowerment of women.

(c) The HLC will examine the overall status of women including, inter-alia, the socio-economic, health and nutritional, legal and political status, disaggregated by rural/urban, economic and social position (e.g. APL/BPL, SC/ST, single women, disabled women, migrant women) and wherever possible by minority status e.g. muslims/others). The analysis would take account of cross-regional differences and focus on inequalities both within and outside the household. It would also assess the impact made by existing policies and legislative changes on equality in policy and legislation as well gaps in implementation.

(d) The HLC will, inter alia, examine:

(i) Women's access to and participation in formal and informal paid employment, emerging areas of participation, geographical pattern of their economic activity, unpaid work/care economy, etc.

(ii) Their asset base and income levels, access to and control over property, land and other productive resources.

(iii) Access to micro-finance, bank credit training and skill up gradation, marking etc. and constraints on increase in productivity.

(iv) Social attitude to women and changes therein, discrimination as reflected in declining sex ratio in different age groups, age at marriage, involvement in decision making and changes in the extent and nature of violence and abuse of women, both within and outside the house and other forms of discrimination on account of customary practices.

(v) Level of socio-economic development in terms of relevant indicators of health, nutrition and education.

(vi) Impact of laws on women and gaps in respect of laws which are directly focused on women as well as those which affect women indirectly. While doing so, the Committee would also look into women's awareness of the laws, access to law, women's inability to use laws effectively, sensitivity of law enforcement agencies as well as the judiciary, role of caste panchayats and other customary practice, condition of women in prisons and other custodial institutions.

(vii) Change in women's political status with respect to their participation in panchayats, states legislature and parliament, the nature and extent of participation, challenges and impact of change in women's political status on their socio-economic empowerment.

(viii) Assess the impact of major women centric programmes and schemes on improving the overall status of women including, inter alia, socio-economic, health, and nutritional, legal and political.

(ix) Any other issue that the Committee may think is of relevance, within the above framework, for the status of women.

(e) The Committee would identify areas of intervention and recommend measures for affirmative action by the Government for the holistic empowerment of women.

(f) The reconstituted Committee will complete its assignment and present its report to the Ministry of Women and Child Development within two years.

(g) During its tenure and prior to submission of the final Report, the HLC may bring out working papers/background papers.

(h) The Committee will devise its own procedure to conduct the study.

4. The High Level Committee will be provided all possible assistance by all Ministries/Department and other bodies under the Government to ensure timely collection of data and information to facilitate their task.

5. The HLC may invite such person(s) as it deems appropriate, to participate in any of its meetings as special invitee(s).

6. The office of the Committee is located at 4th floor, Crescent Tower, office of the Central Social Welfare Board, 12, Qutub Institutional Area, Satsang Vihar, New Delhi-110067.

7. The terms and conditions in respect of reconstituted High Level Committee, including entitlements of Chairperson, Member Secretary and Members will be issued separately.

8. The expenditure involved is being borne by the Ministry of Women and Child Development.

AMIT RAY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054